झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश संख्य–5/आरोप–1–5/2016 का०– **717**/ राँची, दिनांक **28** जनवरी, 2016

ब्यूरो प्रमुख–सह–पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड के पत्रांक–30/गो0, दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोडरमा–राँची रेल पथ निर्माण हेतु चन्दवारा मौजा में श्री महेन्द्र कुशवाहा, श्री महरू कुशवाहा आदि 12 अन्य रैयतों की 12 एकड़ 54 डिसमील जमीन अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहित जमीन के लिए अनुमान्य मुआवजे की राशि के भुगतान में श्री शारदा नन्द देव, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया एवं एक्सिस बैंक के कर्मियों एवं भू–अर्जन कार्यालय, कोडरमा के नाजीर की मिलीभगत से 10 (दस) प्रतिशत की दर से कमीशन के रूप में एक बड़ी अवैध राशि की वसूली की गयी है।

2. इस प्रकार श्री देव द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्ट आचरण किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। इस भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के लिए निगरानी थाना कांड सं0–71/15, दिनांक 08.12.2015 दर्ज है, जो अनुसंधान अन्तर्गत है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये कांड के गवाहों को धमका कर प्रभावित कर रहे हैं।

3. उक्त आरोपों के लिए श्री देव को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम–49(क)(1)(क) एवं (ख) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री देव को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–5/2016 का० **717**/ राँची, दिनांक **28** जनवरी, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।